

व्यवहारवाद कमांक 26A/2017

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-26ए/2017

संस्थित दिनांक- 19.12.2015

Filling no- 235103005432016

01	संतोक सिंह पुत्र फेरन सिंह जाति यादव आयु 65 साल
02	रूपलाल पुत्र फेरन सिंह जाति यादव आयु 60 साल
03	रोशन सिंह पुत्र फेरन सिंह जाति यादव आयु 70 साल
04	लालसिंह पुत्र महीप सिंह जाति यादव आयु 50 साल
05	चिप्पा पुत्र पल्टू जाति ओझा आयु 70 साल
06	हरचरण पुत्र पल्टू जाति ओझा आयु 67 साल
07	किशन पुत्र पल्टू जाति ओझा आयु 64 साल सभी का पेशा खेती, निवासीगण- ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0वादीगण
बनाम	
01	मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय मण्डल अशोकनगर म0प्र0
02	श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजघाट नहर उपसंभाग कमांक 1 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
03	श्रीमान अधीक्षक यंत्री महोदय राजघाट नहर मण्डल झांसी उ0प्र0
04	श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय राजघाट नहर संभाग खनियाधाना जिला शिवपुरी म0प्र0
..... प्रतिवादीगण	

वादी द्वारा
प्रतिवादीगण द्वारा

:- श्री सतीश श्रीवास्तव अधि0।
:- श्री अरविन्द चौबे अधि0।

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 20.11.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 224/1, 239/9/1, 213/2, 214/1, 215, 251, 175, 1175, 239/19/1, 308, 295, 299, 212, 133, 330, 239/12/2 की भूमि (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) पर राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण करवाने हेतु आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने, उक्त भूमि के संबंध में वसुली की जा रही राशि के संबंध में व्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 224/1, 239/9/1, 213/2, 214/1 एवं 2, 215, 251, 175, 1175, 239/19/1, 308, 295, 299 वादीगण क्र० 1 लगायत 3 व परिवार के अन्य खातेदारों के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा सर्वे क्र० 251, 1175 का कुल रकबा 3.746 है० वादी क्र० 4 के स्वामित्व आधिपत्य की पैत्रक भूमि है तथा सर्वे क्र० 212, 133, 330, 239/12/2, सर्वे नम्बर की भूमि वादीगण 5 लगायत 7 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जोकि वादग्रस्त भूमियां हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा ग्राम बडेरा में राजघाट बांध की नहरों का निर्माण कराया गया है, किन्तु कुछ भूमियां एवं वादीगण की वादग्रस्त भूमियों में कोई भी नहर का निर्माण नहीं कराया गया है। इस कारण उक्त भूमियों में नहर का पानी नहीं पहुँच रहा है तभी कुछ सर्वे नम्बर की भूमियों में वादीगण स्वयं के साधन से पानी देते हैं। विवादग्रस्त सर्वे नम्बर नहर से काफी दूरी पर है जिनमें न तो प्रतिवादीगण ने कोई नहर का निर्माण कराया है न मौके पर कोई नहर सादा आदि आज तक बनाया गया है और न ही नहर विभाग द्वारा उक्त भूमि में नहर से किसी प्रकार से पानी पहुँचाया जाता है।

03— वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण व संबंधित कर्मचारियों से मौखिक एवं लिखित आवेदन देकर निवेदन किया कि उक्त भूमियों में नहर का कोई साधन नहीं है और न ही नहर का पानी वादीगण के खेत तक पहुँचता है न पानी पहुँचाने का कोई सादा नाली नहर आदि नहीं है तथा प्रतिवादीगण द्वारा सिंचाई हेतु अवैध वसुली के संबंध में नोटिस जारी किये जाते हैं जबकि वादीगण नहर के पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से पूर्ण व सही कार्यवाही नहीं की गई और न ही समस्त भूमियों का स्थल निरीक्षण किया गया और न ही आज तक सादा नाली का कोई निर्माण कराया गया। वाद कारण प्रतिवादीगण क्र० 2 के द्वारा अवैध राशि, सिंचाई बिल की वसुली तहसीलदार चंदेरी को प्रकरण भेजने व प्रतिवादी क्र० 1 के अधिनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा वादीगण को वसुली हेतु दिनांक 17.05.15 को पृथक-पृथक वादीगण 1 लगायत 3 को 29019/- रुपये का नोटिस एवं महिप सिंह एवं देवीसिंह 3336, 3335 एवं वादीगण 5 लगायत 7 को 13993 रुपये की वसुली हेतु नोटिस भेजने व नहर का निर्माण कार्य न कराये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वादीगण की ओर से यह दावा वादग्रस्त भूमि पर नहर निर्माण की घोषणा कराने एवं अवैध सिंचाई बिल की वसुली को रोकें जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

04— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में स्थित वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्र० 224/1, 239/9/1, 213/2, 214/1 एवं 2, 215, 251, 175, 1175, 239/19/1, 308, 295, 299 वादीगण तथा अन्य किन-किन व्यक्तियों के नाम उक्त भूमि राजस्व परिपत्र में अंकित है इसका स्पष्ट उल्लेख वाद पत्र में अंकित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में खसरा खतौनी पेश किये गये हैं। वादग्रस्त भूमियां मौके पर सिंचित है जो राजघाट बांध की नहर से सिंचित होती है तथा प्रतिवादी शासन द्वारा ग्राम बडेरा में राजघाट बांध की नहर का निर्माण सन् 2000 में पूर्ण हो चुका है तथा वादग्रस्त भूमियों के प्रत्येक नम्बर में नहर निकाली जाना संभव नहीं है, किन्तु उक्त सभी सर्वे नम्बर नहर से ही सिंचित है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को जो भी लिखित आवेदन प्रस्तुत किये गये उनकी विधिवत सुनवाई की गई है और हर संभव उनकी समस्या का निदान किया गया है। किन्तु प्रत्येक कृषक उसकी भूमि पर पक्का, सांदा एवं पाईप लाईन चाहता है जो संभव नहीं है। वादीगण को सिंचाई शुल्क अदा न करना पड़े इस कारण मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।

05— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 224/1, 239/9/1, 213/2, 214/1, 215, 251, 175, 1175, 239/19/1, 308, 295, 299, 212, 133, 330, 239/12/2 की भूमि पर राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण करवाया गया ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण करवाने हेतु आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में संचाई की राशि अवैध रूप से वसूल की जा रही है ?	प्रमाणित नहीं
4	यदि हाँ, क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वसूल की जा रही राशि के संबंध में व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित
6.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 13 के अनुसार दावा निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क0 1 :-

06— वादप्रश्न क0 1 के संबंध में वादीगण का अभिवचन है कि ग्राम बडेरा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क0 224/1, 239/9/1, 213/2, 214/1, 215, 251, 175, 1175, 239/19/1, 308, 295, 299, 212, 133, 330, 239/12/2 पर राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण नहीं करवाया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि दावे के पद क0 1 व 2 में अर्थात् उपर वर्णित सर्वे क्रमांको में दर्शित भूमियों में प्रत्येक नम्बर में नहर निकाली जाना संभव नहीं है। इस प्रकार वादीगण के अभिवचन एवं प्रतिवादीगण द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों पर राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण नहीं करवाया गया है। अतः वादप्रश्न क0 1 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क0 2, 3 व 4 :-

07— वादप्रश्न क0 2, 3 व 4 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। रोशन सिंह वा0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वादग्रस्त भूमियां असिंचित भूमियां हैं और उक्त भूमियों में न तो नहर का कोई साधन है और न ही नहर की कोई नाली आदि है और न आज तक नहर विभाग के द्वारा कोई नहर का निर्माण उक्त भूमि में पानी देने के लिये करवाया गया है। वादीगण का यह अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमियां असिंचित भूमियां हैं, जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी अमित कुमार आर्या एस.डी.ओ. सिंचाई विभाग प्र0सा01 एवं अरुण कुमार चौहान प्र0सा02 ने उनके मुख्य परीक्षण में बताया कि वादग्रस्त भूमियां उन्होंने देखी हैं किन्तु वादग्रस्त भूमियां किन-किन के नाम हैं वे बिना रिकार्ड देखे नहीं बता सकते हैं। उक्त साक्षीगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमियां सिंचित भूमियां हैं और वादीगण प्रत्येक सर्वे नम्बर में नहर का सांदा “नाली” चाहते हैं जो संभव नहीं है।

08— एस.डी.ओ. सिंचाई विभाग अमित कुमार आर्य प्र0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि यह बात सही है कि ग्राम बडेरा के ग्राम वासियों ने इस बाबत शिकायत की थी कि उनकी भूमि की सिंचाई नहीं हो रही है इसके बाबजूद भी उन्हें सिंचाई के बिल भेज जाते हैं। उक्त साक्षी ने स्वतः कहा कि ग्राम बडेरा के वादीगण एवं अन्य लोग पंप लगाकर बांध से जो पानी का रिसाब होता है उससे गड्डे भर जाते हैं और उन गड्डो से पम्प के द्वारा उक्त पानी को कुएं में डालकर इकट्ठा कर लिया जाता है और उक्त गड्डो से खेत की सिंचाई की जाती है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि जल संसाधन विभाग में यह भी नियम है कि यदि खदान आदि बरसात के पानी से भर जाती है और कोई कृषक उक्त पानी का

उपयोग सिंचाई आदि कार्यों के लिये करता है तो उसके के लिये उस व्यक्ति से रॉयल्टी वसूली जाती है यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से ऐसे कोई नियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि वादीगण की समस्त जमीन असिंचित है और वे गलत रूप से वादीगण से अवैध वसूली बिल भेज रहे हैं।

09— अरुण कुमार चौहान प्र0सा02 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह जल संसाधन विभाग में जुलाई 2010 से चंदेरी में उपयंत्री के पद पर पदस्थ रहा है। उक्त साक्षी का कहना है कि ग्राम बडेरा के सभी नम्बर सिंचित हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि वादी रोशन सिंह बगैरा में उनके विभाग में शिकायत की थी कि उनके खेतों में पानी नहीं जाता है तो उसने मौके का मुआयना किया तो जिसमें पानी देते हुए पाया था। उक्त साक्षी का कहना है कि जब वह पदस्थ था उस समय सभी सर्वे नम्बर सिंचित थे, किन्तु उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि दिनांक 27.12.13 को जो पंचनामा बनाया गया था उस समय सर्वे क्र0 239, 1175 पडत पाए गए थे। वादीगण का अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमियां असिंचित भूमियां हैं, किन्तु वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमियों के असिंचित होने के संबंध में कोई भी राजस्व दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनमें की इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि भूमि सिंचित है अथवा असिंचित और इस बात का भी उल्लेख होता है कि भूमि यदि सिंचित है तो वह नहर से, कुएं से या किसी अन्य साधन से सिंचित है।

10— वादी रोशन सिंह वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमियों के संबंध में किस्तबंदी खतौनी और खसरा पेश नहीं किये हैं और उसके उपर सिंचाई विभाग नहर के पानी का सिंचाई कर की बकाया राशि का करीब 10—20 हजार रुपये अदा करना हैं। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि राजस्व रिकार्ड में उसकी भूमि सिंचित होना लेख है। वादीगण का यह भी अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमियों पर सिंचाई कुएं से की जाती है, किन्तु वादी साक्षी गेंदालाल प्रतिपरीक्षण में यह बताने में असमर्थ रहा कि उक्त कुंआ विवादग्रस्त भूमि के किस सर्वे नम्बर की भूमि पर बना हैं। इसके अलावा गेंदालाल वा0सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में इस बात को स्वीकार किया है कि वादीगण के अलावा गाँव के अन्य लोगो को नहर का पानी मिलता है। प्रतिवादी साक्षी अरुण कुमार का कहना है कि ग्राम बडेरा के सभी नम्बर सिंचित हैं। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने मौके का मुआयना किया तो जिसमें पानी देते हुए पाया था। उक्त साक्षी का कहना है कि जब वह पदस्थ था उस समय सभी सर्वे नम्बर सिंचित थे। प्रतिवादी वादी साक्षी अरुण कुमार की उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है, इससे स्पष्ट है कि ग्राम बडेरा में स्थित भूमियां नहर के पानी से सिंचित होती हैं तब केवल वादीगण को ही नहर का पानी नहीं मिल पाता है यह कैसे संभव नहीं है।

11— इसके अलावा स्वयं वादी साक्षी भगवान सिंह वा0सा03, ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि सिंचाई विभाग से सबको जलकर आता है और जल कर कोई नहीं भरता है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि वादीगण को शासकीय पैसा जमा न करना पड़े इसलिये दावा पेश किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से वादीगण की मन्शा स्पष्ट हो जाती है कि वादीगण की ओर से शासकीय पैसा जमा न करने की नियत से उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 इरिगेशन एक्ट 1931 की धारा 29 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शासन के विरुद्ध सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 15 या 16 या अन्यथा, किसी नहर से पानी की सप्लाई शासन के ग्रांट के अधीन है। इसके अलावा प्रत्येक सर्वे नम्बर की प्रत्येक भूमि में से नहर निकालना शासन के लिये संभव नहीं है क्योंकि उक्त नहर से पाईप, पम्प आदि के माध्यम से भी नहर से दूर स्थित खेतों में पानी की सप्लाई कर सिंचाई की जा सकती है। उपरोक्त परिस्थिति में वादीगण तथा कथित सर्वे नम्बर की भूमियों से राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण करवाने के लिये आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में सिंचाई की राशि की अवैध रूप से वसूली नहीं की जा रही है। इस संबंध में भी वादीगण व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वादप्रश्न क्र0 2, 3 व 4 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र0 5 :-

12— वादीगण का यह वाद स्थाई व्यादेशों के लिए है। इस स्थिति में न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 (iv) (d) के अंतर्गत वादीगण स्थाई व्यादेशों के अनुतोष के लिए मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। वादीगण ने व्यादेशों के लिए कुल मूल्यांकन 44,000/-रु. किया है। चूंकी जिस प्रकार के व्यादेश वादी ने चाहे हैं उनका कोई धनीय मूल्य नहीं है इसलिए 44,000/-रु. का यह मूल्यांकन अनुचित या अयुक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोजन से भी वाद का मूल्यांकन 44,000/-रु. ही होगा जो अनुचित या अयुक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन किया गया है। वाद प्रश्न क्र.5 तदनुसार प्रमाणित पाया जाता है।

वादप्रश्न क्र0 6:- **सहायता एवं व्यय**

13— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि पर राजघाट नहर परियोजना अन्तर्गत नहर का निर्माण करवाने हेतु आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने एवं उक्त भूमि के संबंध में

बसूल की जा रही राशि के संबंध में व्यादेश प्राप्त करने के हकदार नहीं है।
फलतः वादीगण का वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाकर निम्न आशय की
डिक्री पारित की जाती है:—

1.	दावा निरस्त किया जाता है।
----	---------------------------

14— प्रकरण की परिस्थितियों में वादीगण स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

15— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित घोषित कर किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0